मुन्तकिली प्रकरण सं0 14/2016 1—सहीराम पुत्र पोखरराम जाति कुम्हार निवासी 5 वाई तह0 श्रीगंगानगर 2—दौलतराम पुत्र सोहन लाल पुत्र पोखरराम जाति कुम्हार निवासी 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1—पृथ्वीराज पुत्र पोखरराम जाति कुम्हार निवासी 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर 2—उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

31.08.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री प्रेमचंद सेवटा उपस्थित है। अप्रार्थी पृथ्वीराज के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा व रूकमादेवी जरिये मु0 खास दूदाराम के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगणा के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीयान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लंबित मुकदमा सं0 85/2005 अनवानी पृथ्वीराज बनाम स्टेट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। प्रार्थीगण अब इस मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहते है और नॉट प्रेस करते है। अतः मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

अप्रार्थीयान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

चूंकि प्रार्थीगण मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहते है और नॉट प्रेस किया है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1574
9-9-16

आदेश आज दिनांक 31.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर